उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976

{उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 45, 1976}

THE UTTAR PRADESH PROTECTION OF TREES ACT, 1976

[U. P. ACT NO. 45 OF 1976]

उत्तर प्रदेश {***}[2] वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976[1]

{उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 45, 1976}

उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 8 नवम्बर, 1976 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 10 नवम्बर, 1976 ई0 की बैठक में स्वाकृति किया।

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 19 नवम्बर, 1976 ई0 कों स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट में दिनांक 22 नवम्बर, 1976 ई0 को प्रकाशित हुआ।

उत्तर प्रदेश में {***}[2] वृक्षों के निपातन और पुनः आरोपण के विनियमन की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया गया है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–– {(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।}[3]

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अधिनियम कतिपय क्षेत्र में लागू न होगा

2–– यह अधिनियम –

(क) आरक्षित और संरक्षित वन में स्थित वृक्षों पर ;

(ख) किसी वन या वन भूमि में स्थित उन वृक्षों पर, जिनके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन कोई सूचना प्रवृत्त हो;

{(ग) छावनी क्षेत्र में स्थित वृक्षों पर,}[4]

लागू न होगा।

परिभाषाएं

3–– जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में –

(एक) ''रिक्त क्षेत्र'' का तात्पर्य पैमाइश में आधा हेक्टेयर या उससे अधिक के किसी भू–खण्ड से है (जिस पर खेती न होंती हो), जिस पर पांच या उससे कम वृक्ष उगे हों;

(दो) ''भूमि संरक्षण अधिकारी' का वही तात्पर्य होगा, जो उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, 1963 में उसके लिए दिया गया है;

(तीन) ''सक्षम प्राधिकारी'' का तात्पर्य उस प्राधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उन कर्त्तव्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त करे, जो इस अधिनियम द्वारा सक्षम प्राधिकारी पर आरोपित या उसे प्रदत्त है और इमारती लकड़ी वाले, फल वाले और अन्य वृक्षों के विभिन्न वर्गों के सम्बन्ध में और विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किये जा सकते है;

(चार) ''प्रभागीय वन अधिकारी'' का तात्पर्य किसी वन प्रभाग और उस क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी से है ;

---

1. उद्देश्यों और कारणों के लिए दिनांक 31 मार्च 1976 का सरकारी असाधारण गजट देखिए।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 28 वर्ष 1998 की धारा 2 द्वारा निकाला गया।
3. उपर्युक्त की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

(पांच) सजातीय पद सहित ''वृक्ष के निपातन'' का तात्पर्य वृक्ष को काटने गिराने, छाटने, ठूंठ करने या किसी अन्य रीति से क्षति पहुंचाने से है;

(छः) ''राजकीय उद्यान'' का तात्पर्य फल–फूल या सब्जी उगाने या वृक्षों का रोपण या पोषण करने के लिए प्रयुक्त केन्द्रीय या राज्य सरकार के भू–खण्ड से है, और इसमें केन्द्रीय या राज्य सरकार की बाग भूमि भी सम्मिलित है ;

(सात) ''पर्वतीय क्षेत्र'' का तात्पर्य जिला अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, गढ़वाल, चमोली, टिहरी–गढ़वाल और उत्तरकाशी तथा जिला नैनीताल की पहाड़ी पट्टियों और देहरादून जिले की चकराता तहसील व मसूरी नगरपालिका क्षेत्र से है, परन्तु उसमें कोई छावनी क्षेत्र सम्मिलित नहीं है;

(आठ) ''खाता ''और खातेदार'' का वही अर्थ होगा, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई0 में उनके लिए दिया गया है ;

(नौ) ''सार्वजनिक भू–गृहादि'' का वही अर्थ होगा, जो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 में उसके लिये दिया गया है;

(दस) ''पुनरीक्षण प्राधिकारी'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी से है ;

(ग्यारह) ''वृक्ष'' का तात्पर्य किसी काष्ठीय वनस्पति से है, जिसकी शाखाओं का उद्‌भव स्थान और अवलम्ब कोई स्कन्ध या निकाय है और जिसके स्कन्ध या निकाय का व्यास धरातल से तीस सेन्टीमीटर की ऊंचाई पर पांच सेन्टीमीटर से कम नहीं है और ऊंचाई धरातल से एक मीटर से कम नहीं है, और क्रमशः पद ''इमारती लकड़ी वाले वृक्ष'' और ''फलवाले वृक्ष'' का तात्पर्य क्रमशः अनुसूची और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट जाति के वृक्ष से है :

परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूचियों में परिवर्द्धन या परिष्कार कर सकती है;

(बारह) ''नागर क्षेत्र'' का तात्पर्य पर्वतीय क्षेत्र से भिन्न किसी ऐसे क्षेत्र से है, जो नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड या विकास प्राधिकरण की सीमा में सम्मिलित हो;

(तेरह) इस अधिनियम में प्रयुक्त और उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध मे यथा–संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 में परिभाषित किन्तु इस अधिनियम में अपरिभाषित ''शब्द और पद'' के वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके लिए दिये गये है।

वृक्ष के निपातन और अपवाद नियम पर निर्बन्धन

4–– इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों में जैसी व्यवस्था है, उसके सिवाय, कोई व्यक्ति –

(क) किसी भूमि पर, चाहे वह किसी खाते में सम्मिलित हो या न हो, खड़े किसी वृक्ष को नहीं गिरायेगा ;

(ख) उस वृक्ष से, जो बिल्कुल सूख गया है और किसी ऐसी भूमि पर किसी मानवीय साधन के बिना ही गिर गया है, भिन्न किसी वृक्ष को नहीं काटेगा, नहीं हटायेगा और अन्य प्रकार से उसका निस्तारण नहीं करेगा।

वृक्ष के निपातन या अपनयन के लिए अनुज्ञा

5–– सक्षम प्राधिकारी, किसी व्यक्ति के आवेदन–पत्र पर, जो किसी खड़े वृक्ष को गिराने या किसी गिरे हुए, वृक्ष को काटने, हटाने या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करने के लिये हकदार है, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जिसे वह उचित समझे, उस व्यक्ति को ऐसा करने की अनुज्ञा दे सकता है :

परन्तु यदि उस वृक्ष से किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को खतरा है तो ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार नहीं किया जायगा :

परन्तु यह है और कि ऐसे क्षेत्र के सिवाय, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय ऐसी अनुज्ञा किसी वृक्ष के निपातन के लिये इस दृष्टि से कि ईधन, चारा, कृषि उपकरण या किसी अन्य घरेलू कार्य के प्रयोजनार्थ वास्तविक उपयोग के लिये उसकी लकड़ी या पत्ती को हस्तगत करना है, अपेक्षित नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसी तात्कालिक कार्यवाही की जा सकती है, जो किसी अवरोध या अपदूषण को हटाने के लिए या किसी खतरे को रोकने के लिए आवश्यक हो।

वृक्ष के निपातन या अपनयन की अनुज्ञा लेने की प्रक्रिया

6–– (1) धारा 5 के अधीन प्रत्येक आवेदन–पत्र लिखित रूप में होगा और ऐसी रीति से दिया जायगा और उसमें ऐसे ब्यौरे होंगे, जो विहित किए जायं।

(2) सक्षम प्राधिकारी अपना विनिश्चय वन, बाग या सार्वजनिक भू–गृहादि में उगे हुए, किसी वृक्ष से भिन्न किसी वृक्ष के सम्बन्ध में आवेदन–पत्र की स्थिति में, ऐसे आवेदन–पत्र की प्राप्ति के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर, और किसी गिरे हुए वृक्ष के सम्बन्ध में आवेदन–पत्र की स्थिति में, ऐसे आवेदन–पत्र की प्राप्ति के दिनांक से सात दिन के भीतर देगा।

(3) यदि सक्षम प्राधिकारी उपधारा (2) में अनुमत समय के भीतर अपना विनिश्चय देने में असफल रहता है तो धारा 5 में निर्दिष्ट अनुज्ञा दी गई समझी जायगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय के दिनांक से तीस दिन के भीतर पुनरीक्षण प्राधिकारी को अभ्यावेदन कर सकता है और ऐसे अभ्यावेदन पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(5) इस अधिनियम के अधीन दी गई प्रत्येक अनुज्ञा ऐसे रूप में और ऐसी शर्तो के अधीन होगी, जो विहित कि जाय, जिसके अन्तर्गत क्षेत्र में पुनरूत्पादन और वृक्षों के पुनः आरोपण को सुनिश्चित करने के लिए या अन्यथा प्रतिभूति लेना भी है।

वृक्षारोपण का दायित्व

7–– प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी वृक्ष को गिराने, काटने, हटाने या निस्तारित करने की अनुज्ञा दी गई है, उस क्षेत्र में, जहां मे, जहां ऐसी अनुज्ञा के अधीन उसने ऐसे वृक्ष को गिराया है, काटा है, हटाया है या निस्तारित किया है, प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर दो वृक्षों के आरोपण और परिपोषण के लिए बाध्य होगा :

परन्तु सक्षम प्राधिकारी उन कारणों से, जो अभिलिखित किए जायेंगे, कम संख्या में वृक्षारोपण करने या किसी अन्य क्षेत्र में वृक्षारोपण करने की अनुज्ञा दे सकता है, या किसी व्यक्ति को वृक्ष के आरोपण या परिभाषण के दायित्व से मुक्त कर सकता है।

रिक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण

8–– (1) जहां परगना अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी राजस्व–अधिकारी या जिला उद्यान अधिकारी से अभिन्न श्रेणी के किसी उद्यान अधिकारी, या भूमि संरक्षण अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी भूमि संरक्षण अधिकारी या सहायक अरण्यपाल से अनिम्न श्रेणी के किसी वन अधिकारी की आख्या के आधार पर या अन्य प्रकार से प्रभागीय वन अधिकारी की यह राय हो कि किसी रिक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, वहां वह ऐसे क्षेत्र के स्वामी, अध्यासी या खातेदार को (जिसे आगे अभ्यर्थी कहा गया है) यह कारण बताने का नोटिस जारी कर सकता है कि क्यों न ऐसे क्षेत्र में, जो ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, वृक्षारोपण किया जाय।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस ऐसे प्रपत्र में दी जायगी और उसमें ऐसे ब्योरे होंगे और वह ऐसी रीति से तामील की जायगी जो विहित की जाय।

(3) प्रभागीय वन अधिकारी अभ्यर्थी द्वारा बताये गये कारण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् उसे उतनी संख्या में और उस वर्ग के वृक्षों को लगाने का निदेश दे सकता है, जो निदेश में विनिर्दिष्ट हो।

(4) उपधारा (3) के अधीन दिये गये किसी निदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे निदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर संबद्ध अरण्यपाल को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

धारा 7 और 8 के अधीन दिये गये निदेशों का कार्यान्वित

9—— (1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसका धारा 7 के अधीन वृक्षारोपण का दायित्व है या जिसे धारा 8 के अधीन कोई निदेश दिया गया है, यथास्थिति, अनुज्ञा के दिनांक से या निदेश की प्राप्ति के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर प्रारम्भिक कार्य शुरू कर देगा और आगामी वर्षा ऋतु में या ऐसे विस्तारित समय के भीतर, जैसा संबद्ध प्रभागीय वन अधिकारी अनुमति दे, ऐसे निदेशों के अनुसार वृक्षारोपण करेगा।

(2) ऐसे व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम करने की स्थिति मे प्रभागीय वन अधिकारी वृक्षारोपण करा सकता है और ऐसे व्यक्ति से वृक्षारोपण की लागत विहित रीति से वसूल कर सकता है।

धारा 4 का उल्लंघन करते हुए वृक्ष के निपातन या अपनयन के लिए शास्ति

10—— जो कोई भी धारा 4 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए किसी खड़े वृक्ष को गिराता है या गिराने देता है, या किसी गिरे हुए वृक्ष को काटता है, हटाता है या अन्यथा निस्तारित करता है या अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञा को किसी शर्त का उल्लंघन करता है, उसे कारावास का, जो छः मास तक हो सकता है या जुर्माने का, जो एक हजार रूपये तक हो सकता है या दोनों का दण्ड दिया जायगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

11—— (1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य संचालन का प्रभारी और उसके लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए अपराधी माना जायगा और तद्नुसार कार्यवाही किए जाने और दण्ड दिए जाने का भागी होगा :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नहीं होगा, यदि यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने इस अपराध के किए जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्त्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है यह उपेक्षाजनित है तो वह प्रबन्ध अभिकर्त्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक, या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिए अपराधी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किए जाने और दण्ड दिए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए —

(क) ''कम्पनी'' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; और

(ख) ''निदेशक'' का, किसी फर्म के सम्बन्ध में, तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

इमारती लकड़ी का समपहरण

12—— (1) जहां कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाय, वहां न्यायालय कोई इमारती लकड़ी या वृक्ष, जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया हो और ऐसे वृक्ष को गिराने में प्रयुक्त उपकरणों को सरकार के प्रति समपहृत किए जाने का आदेश दे सकता है।

(2) इस धारा के अधीन समपहृत किसी इमारती लकड़ी को सक्षम प्राधिकारी ऐसी रीति से निस्तारित करेगा, जो विहित की जाय।

बिना वारंट के गिरफ्तार करने का शक्ति

13–– (1) वनराजिक से अनिम्न श्रेणी का कोई वन अधिकारी या सब इंसपेक्टर से अनिम्न श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति को, जिसके विरूद्ध यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से सम्बन्धित है, बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर सकता है :

परन्तु पर्वतीय क्षेत्र के सम्बन्ध में इस धारा में सब–इंसपेक्टर के प्रति निर्देश का अर्थ इस प्रकार किया जायगा मानो वह नायब तहसीलदार के प्रति निर्देश है।

(2) इस धारा के अधीन गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक अधिकारी, बिना आवश्यक विलम्ब किए, और बन्ध–पत्र पर छोड़े जाने के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गिरफ्तार व्यक्ति को उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट या निकटतम थाने के प्रभारी अधिकारी के समक्ष ले जायगा या भिजवाएगा।

(3) इस धारा के अधीन गिरफ्तार किसी व्यक्ति को उसके द्वारा, मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष, जब कभी आवश्यक हो, उपस्थित होने के लिए, बन्ध–पत्र निष्पादित किए जाने पर, छोड़ दिया जायगा।

अभिग्रहण करने की शक्ति

14–– (1) जब यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई वृक्ष इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंधन करते हुए गिराया, काटा या हटाया गया है तो ऐसे वृक्ष को लकड़ी के साथ–साथ ऐसे उल्लंघन में प्रयुक्त नाव, गाड़ी वाहक या पशु भी, यदि कोई हो, वनराजिक से अनिम्न पद के किसी वन अधिकारी या सब इंसपेक्टर के पद से अनिम्न श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त शक्ति सम्पन्न किसी व्यक्ति द्वारा, अभिगृहीत किया जा सकता है।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अभिग्रहण की आख्या उस अपराध पर, जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, विचार करने के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को दे दी जायगी, और ऐसी इमारती लकड़ी, नाव, गाड़ी वाहक या पशु का निस्तारण, ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन रहते हुए, विहित रीति के किया जायगा।

(3) कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी, जो तंग करने के लिये या अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है या किसी सम्पत्ति किसी संपत्ति का अभिग्रहण इस ब्याज से करता है कि ऐसी सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन समपहरण योग्य है, वह कारावास से ऐसी अवधि के लिये, जो छः मास तक हो सकती है या जुर्माना से जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है या दोनों से दंडनीय होगा।

अपराधों का प्रमषन करने की शक्ति

15–– (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी को, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरूद्ध यह विश्वास करने का कारण है कि उसने किसी वन, बाग या सार्वजनिक भूगृहादि में स्थित वृक्ष से भिन्न किसी वृक्ष के संबध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है, ऐसी धनराशि, जो पांच हजार रूपये ये अधिक न हो, उस अपराध के लिये प्रशमन के रूप मे स्वीकार करने के लिये प्राधिकृत कर सकती है, जिसके बारे में यह विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति ने उसे किया है।

(2) किसी ऐसे अधिकारी को ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर, संदिग्ध व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, छोड़ दिया जायगा और ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायगी और धारा 14 में किसी बात के होते हुए भी ऐसा अधिकारी, ऐसी राशि का, जो पांच हजार रूपये से अधिक न हो जिसे वह मामले की परिस्थितियों मे उचित समझे, भुगतान करने पर इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत सम्पत्ति को छोड़ सकता है।

अधिनियम के उल्लंघन की आख्या कतिपय अधिकारियों द्वारा दी जायगी

16–– प्रत्येक वन अधिकारी, लेखपाल, पंचायत सचिव, पुलिस–कांस्टेबिल, सहायक उद्यान–निरीक्षक या सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक या उनसे वरिष्ठ किसी अधिकारी का कर्त्तव्य होगा कि वह ––

(क) धारा 4 के किसी उल्लंघन की, या ऐसा उल्लंघन किये जाने की तैयारी की सूचना, जो उसकी जानकारी में आये, तुरन्त सक्षम प्राधिकारी को दे, और

(ख) ऐसे उल्ल्ंघन को, जिसे वह जानता हो या जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह किया जाने वाला है या जिसके लिये किये जाने की संभावना है, रोकने के लिये समस्त युक्तियुक्त उपाय करे, जो उसकी शक्ति मे है।

शास्ति देने या अधिहरण से अन्य दण्ड दिये जाने में हस्तक्षेप नही होगा

17–– इस अधिनियम के अधीन शास्ति या किसी सम्पत्ति का अधिहरण, कोई दंड देने को नहीं रोकेगा, जिसके लिये उससे प्रभावित व्यक्ति किसी अन्य विधि के अधीन दडंनीय है।

अधिकारी लोक सेवक होंगे

18–– इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग या किसी कर्त्तव्य का पालन या कृत्य का निर्वहन करने वाले अधिकारी भारतीय दंड सहिंता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक–सेवक समझे जायेंगे।

धनराशि लोक संवक होंगे

19–– कोई धनराशि, जिसमें किसी अपराध के प्रमशन के लिये कोई राशि भी सम्मिलित है, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किये जाने के लिये निदेश दिया गया हो, उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उससे भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायगी ।

कार्यवाहियों पर रोक

20–– इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किया हुआ तात्पर्यित किसी कार्य के लिए राज्य सरकार या इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग या कर्त्तव्य का पालन या कृत्य का निर्वहन करने के लिये शक्ति सम्पन्न किसी व्यक्ति के विरूद्ध, कोई वाद या कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

छूट

21–– ऐसी शर्तो के अधीन, यदि कोई हो, जो आरोपित की जायें, रहते हुए राज्य सरकार, यदि लोक हित में, ऐसा करना आवश्यक समझा जाय, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को या वृक्षों की किसी जाति को इस अधिनियम के समस्त या किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

इस अधिनियम के उपबन्ध उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे

22–– इस अधिनियम के उपबन्ध, वृक्ष गिराने को प्रतिषिद्धि या विनियमित करने के लिये उस समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनका अल्पीकरण करेंगे।

वृक्षों के परिक्षण के लिये राज्य सरकार की शक्ति

23–– (1) राज्य सरकार, जन साधारण के हित में, अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि वृक्षों का कोई वर्ग ऐसी अवधि तक नहीं गिराया जायगा, जैसी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है।

(2) ऐसे वृक्षों का प्रबन्ध विहित रीति से विनियमित किया जायगा।

नियम बनाने की शक्ति

24–– राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, नियम बना सकती है।

{24–क–– उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1998 के प्रारम्भ के दिनाँक को और से किसी विधि या परिनियत संलेख में उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रति किसी निर्देश को उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रति निर्देश समझे जायेगा।}[1]

उ0प्र0 अधिनियम सं0 45 सन् 1976 के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध

25–– (1) उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन तथा अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 26,1976

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम समस्त सारवान समय पर प्रवृत्त था।

अनुसूची – एक

(इमारती लकड़ी वाले वृक्ष)

{धारा 3 (ग्यारह) देखिये}

क्रम सं0	सामान्य नाम	वनस्पति शास्त्रानुसार नाम
1	2	3
1 –	अरोखट	जुगलेंसरिजिया
2 –	अर्जुन	टर्मीनलिया अरजुन
3 –	आम	मैंगीफेरा इन्डिका
4 –	इमली	टमारिनड्स इंडिका
5 –	करधई	ऐनोगाइसिस पैनडुला
6 –	केजू	होल्प–टीलिया इनटेग्रिफोलिया
7 –	कुसुम	स्लाईचेरा त्रिजुगा
8 –	कैल	पाइनस एक्सलसा
9 –	खरशू	क्यूरक्स सैमीकरपीफोलिया
10 –	खैर	एकेषिया कटेषू
11 –	गूटेल	ट्रीविया नूडीफ्लोरा
12	घाऊ– वकली	एनोगाइसस लैटीफोलिया
13 –	चन्दन	सन्टालम एलबम
14 –	चमखरिक	करपिनस विमीनिया
15 –	चिरौजी	बुचनैनिया लैटिफोलया
16 –	चीड़	पाइनस राक्सबरगाई
17 –	जामुन	साइजीयम क्युमिन
18 –	ढाक/ पलास	ब्यूटिया मोनसपरमा (केवल मिर्जापुर, वाराणी, बांदा और झांसी जिलों के लिए)
19 –	तुनी	सिड्रेला सेरटा तूना
20 –	तून	सिड्रेला तूना
21 –	तेन्दू	डायस पापरेस टोमेनटोसा
22 –	देवदार	सीड्रस बिओदारा
23 –	नीम	अजेडिरेक्टा इंडिका
24 –	पपरी/सन्सदू /चिकड़ी	बोक्सस् सिमपैरपिरेन्स
25 –	फलियांट	क्वेरकस ग्लाका

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 28 वर्ष 1998 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।

26 –	बकाइन	मेलिया एजेडरेक
27 –	बहेड़ा	टर्मीनलिया बैलिरिका
28 –	बांज	क्यूरकस इनकाना
29 –	महुआ	मधुका लैटिफोलिया
30 –	मोरिन्डा	ऐबीज पिनडरू
31 –	मौरू	क्यूरसकस डाइलेटा
32 –	राय	पींसिमा मोरिन्डा
33 –	रियांज	क्वेरकस लेनीजीनोसा
34 –	शीशम	डलबर्जिया सेरेटा
35 –	सलई	बौसबेलिया सेरेटा
36 –	सागौन	टेक्टोना ग्रेन्डिस
37 –	साल	सोरिया रोबस्टा
38 –	सिरिस	ऐल्बिज्जिया स्पेपिज
39 –	सई/आसना	टर्मीनालिया टोमेनटोसा
40 –	सेमल	सलमेलिया मेलाबरिका
41 –	हर्र	टर्मीनलिया चेबुला
42 –	हल्दू	ऐडीना कार्डिफोलिया

अनुसूची –दो

(फल वाले वृक्ष)

{धारा 3 (ग्यारह) देखिये}

क्रम सं0	सामान्य नाम	वनस्पति शास्त्रानुसार नाम
1 –	अनार	पुनिका ग्रेन्टम
2 –	अमरूद	पैसीडियम गाऊवा
3 –	आडू	प्रूनस परसिको
4 –	आलू बुखारा	प्रूनस कम्यूनिस
5 –	आम	मैगीफैरा इण्डिका
6 –	ऑवला	एम्बिलिका आफीसेनेल
7 –	कटहल	अरटोंकारपस इन्टिग्रिकोलिया
8 –	खुमानी	प्रूसन एरमैनाइका
9 –	नाशपाती	प्यूरस कम्यूनिस
10 –	नारंगी, नीबू, माल्टा, मुसम्मी, सन्तरा	सभी तरह के सिटरस
11 –	लीची	नैफेलियम लिची
12 –	शरीफा	एनीनास्कयूमोसा
13 –	सेब	प्यूरस मेलस

अनुसूची – तीन

(ईधन वाले वृक्ष)

{धारा 3 (ग्यारह}

अनुसूची एक और दो में विनिर्दिष्ट वृक्षों से भिन्न वृक्ष।

THE UTTAR PRADESH PROTHECTION OF TREES [***][2] ACT, 1976[1]

[U. P. ACT NO. 45 OF 1976]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on November 8, 1976 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on November 10, 1976.

Received the assent of the Governor on November 19, 1976 under Article 200 of 'the Constitution of India' and was published in the Uttar Pradesh Gazette, Extraordinary, dated November 22, 1976.]

AN

ACT

to provide for regulation of felling of trees and replanting of trees in [***][2] Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :-

Short title, extent, and commencement

1. [(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976.][3]

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

Act not to apply to certain areas

2. This Act shall not apply to -

(a) trees situate in reserved and protected forests ;

(b) trees situate in a forest or forest. land in respect of which any notification under the Indian Forest Act, 1927 as amended in its application to Uttar Pradesh is in force ;

[(c) trees situate in cantonment area.][4]

Definitions

3. In this Act, unless there is anything repugnant in the context :-

(i) "blank area" means any piece of land (not being under cultivation) measuring one-half of a hectare or more, which has five or less trees growing on it;

(ii) "Bhoomi Sanrakshan Adhikari" shall have the meaning assigned to it under the Uttar Pradesh Bhoomi Evam Jal Senrakshan Adhiniyam, 1963 ;

(iii) "competent authority" means an authority appointed by the State Government by notification to perform the duties and exercise the powers imposed or conferred upon a competent authority by this Act; and different competent authorities may be appointed in respect of different classes of timber, fruit and other trees, and for different purposes

(iv) "Divisional Forest Officer" means an officer incharge of a forest division and exercising jurisdiction over the area;

---

1. For statement of objects and reasons see Uttar Pradesh Extraordinary dated March 31, 1976.
2. Omitted by section 2 of U.P. Act No. 28 of 1998.
3. Subs. by section 3 ibid.
4. Subs. by section 4 ibid.

(v) "fell a tree", with its cognate expressions, means cutting, girdling, lopping, pollarding or damaging a tree in any other manner;

(vi) "Government garden" means a piece of land belonging to the Central or State Government used for growing flowers, fruit or vegetables er for planting or raising trees, and includes a grove land belonging to the Central or State Government;

(vii) "hill area" means the districts of Almora, Pithoragarh, Garhwal, Chamoli, Tehri-Garhwal and Uttarkashi and the hill pattis of district NainiTal and areas of Chakarata Tahsil and Mussoorie Municipal Board of DehraDun district but does not include any Cantonment area. ;

(viii) "holding" and "tenure holder" shall have the meaning assigned to them in the Uttar. Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 ;

(ix) "public premises" shall have the meaning assigned to it in the Uttar Pradesh Public Premises (Eviction of Un authorised Occupants) Act, 1972 ;

(x) "revising authority" means an authority appointed by the State Government as revising authority under this Act ;

(xi) "tree" means any woody plant whose branches spring from and are supported upon a trunk or body and whose trunk or body is not less than five centimetre in diameter at a height of thirty centimetres from the ground level and is not less than one metre in height from the ground level, and the expressions "timber trees" and "fruit trees" means respectively the trees of the species specified in Schedule I and Schedule II respectively:

Provided that the State Government may by notification add to or modify the Schedules ;

(xii) "urban area" means an area (not being a hill area), which is included within the limits of a Nagar Mahapalika, Municipal Board, Notified Area Committee, Town Area Committee, Cantonment Board or of a Development Authority ;

(xiii) "words and expressions" used in this Act and defined in the Indian Forest Act, 1927, as amended in its application to Uttar Pradesh, but not defined in this Act shall have the meaning respectively assigned to them in that Act.

Restriction on felling and removal of trees

4. Except as provided in this Act or the rules made thereunder, no person shall-

(a) fell any tree standing on any-land; whether included in a holding or not;

(b) cut, remove or otherwise dispose of any tree other than a tree which is completely dead and has fallen without the aid of human agency on any such land.

Permission to fell or remove trees

5. The competent authority may, on the application of any person entitled to fell a standing tree or to cut, remove or otherwise dispose of a fallen tree, after making such inquiry, as it thinks fit, grant permission to him to do so :

Provided that such permission shall not be refused if the tree constitutes danger to person or property :

Provided further that except in such area as may be notified by the State Government in this behalf such permission shall not be required for the felling of any tree with a view to appropriating the wood or leaves thereof for bona fide use for purposes of fuel, fodder, agricultural implements or other domestic use :

Provided also that such immediate steps as are necessary to remove any obstruction or nuisance or to prevent any danger may be taken without such permission.

Procedure for obtaining permission to fell or remove trees

6. (1) Every application under section 5 shall be in writing and shall be made in such manner and contain such particulars as may be prescribed.

(2) The competent authority shall give his decision in the case of an application in respect of any tree other than a tree growing in forest, grove, or public premises, within ninety days from the date of receipt of such application, and in the case of an application in respect of a fallen tree within seven days from the date of receipt of such application,

(3) If the competent authority fails to give his decision within the time allowed by sub-section (2), the permission referred to in section 5 shall be deemed to have been granted.

(4) Any person aggrieved from the decision of the competent authority under sub-section (2) may make a representation within thirty days from the date of such decision, to the Revising Authority and his decision on such representation shall be final.

(5) Every permission granted under this Act shall be in such form and subject to such conditions, including taking of security for ensuring regeneration of the area and replanting of trees or otherwise, as may be prescribed.

Obligation to plant trees

7. Every person, to whom permission has been granted under this Act to fell, cut, remove or dispose of any tree, shall be bound to plant and tend two trees in place of every tree in the area, from where such tree has been felled, cut, removed or disposed of by him under such permission :

Provided that the competent authority may for reason to be recorded in writing, permit lesser number of trees to be planted, or trees to be planted in any different area, or exempt any person from the obligation to plant or tend any tree.

Plantation of trees in blank area

8. (1) Where the Divisional Forest Officer is of opinion, on the basis of the report of a revenue officer, not below the rank of a Sub-Divisional Officer, or a Horticulture Officer, not below the rank of a District Horticulture Officer, or a Soil Conservation Officer not below the rank of Bhoomi Sanrakshan Adhikari or any forest officer not below the rank of Assistant Conservator of Forest, or otherwise that trees should be planted in a blank area, he may issue a notice to the owner, occupier or tenure-holder (hereinafter referred to as claimant) of such area to show cause why trees should not be planted in such area as may be specified in such notice.

(2) The notice referred to in sub-section (1) shall be given in such form and shall contain such particulars and shall be served in such manner as may be prescribed.

(3) The Divisional Forest Officer may, after considering the cause, if any, shown by the claimant, direct him to plant such number and class of trees as may be specified in the direction.

(4) Any person aggrieved from any direction given under sub-section (3) may within 30 days from the date of such direction, prefer an appeal to the Conservator of Forests concerned, whose decision shall be final.

Implementation of directions given under section 7 and 8

9. (1) Every person who is under an obligation to plant trees under section 7 or to whom any direction has been given under section 8 shall start preparatory work within ninety days, from the date of the permission or the date of receipt of direction, as the case may be, and shall plant the trees in accordance with such direction in the next following rainy season or within such extended time as the Divisional Forest Officer concerned may allow.

(2) In case of default by such person the Divisional Forest Officer may cause trees to be planted and may recover the cost of plantation from such person in the prescribed manner.

Penalty for felling or removal of trees in contravention of section 4

10. Whoever fells or causes to be felled any standing tree, or outs, removes or otherwise disposes of any fallen tree, in contravention of the provisions of section 4, or contravenes any condition of any permission granted under this Act, shall be punished with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

Offence by companies

11. (1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person incharge of and responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge of that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence was committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any managing agent, Secretary, treasurer, director, manager or other officer of the company shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation-- For the purposes of this section --

(a) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals ; and

(b) "Director" in relation to a firm means a partner in the firm.

Forfeiture of timber

12. (1) Where any person is convicted of an offence under this Act any timber or the tree in respect of which an offence is committed and the implements used for felling such trees may be ordered by the court to be forfeited to Government.

(2) Any timber forfeited under this section shall be disposed of by the competent authority in such manner as may be prescribed.

Power to arrest without warrant

13. (1) Any forest officer not below the rank of a Forest Ranger or Police Officer, not below the rank of a Sub-Inspector, may without a warrant, arrest any person against whom there is reason to believe that he has been concerned in any offence under this Act :

Provided that in relation to the hill area the reference to Sub-Inspector in this sub-section shall be construed as a reference to Naib Tehsildar.

(2) Every officer making an arrest under this section shall, without unnecessary delay and subject to the provisions of this Act as to release on bond, take or send the person arrested before the Magistrate having jurisdiction in the case, or to the officer-in-charge of the nearest police station.

(3) Any person arrested under this section shall be released on his executing a bond to appear, if and when so required, before the Magistrate having jurisdiction in the case.

Power to seize

14. (1) When there is reason to believe that any tree has been felled or cut or removed in contravention of the provisions of this Act, the wood of such tree, together with boat, vehicle, carrier or cattle, if any, used in such contravention may be seized by any Forest Officer not below the rank of a Forest Ranger or any police officer not below the rank of a Sub-Inspector or any other person empowered in this behalf by the State Government.

(2) Every seizure under this section shall be reported to the Magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure has been made and such timber, boat, vehicle, carrier or cattle shall, subject to the order of such Magistrate, be disposed of in the prescribed manner.

(3) Any forest officer or police officer who vexatiously and unnecessarily arrests or siezes any property on pretence of such property being liable to forfeiture under this Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.

Power to compound offences

15. (1) The State Government may by notification authorize any officers to accept from any person against whom there is reason to believe that he has committed offence under this Act in respect of any tree other than a tree situate in a forest, grove or public premises, such sum of money not exceeding Rs.5,000 by way of composition for the offence which such person is suspected to have committed.

(2) On the payment of such sum of money to any such officer, the suspected person if in custody, shall be released and no further proceedings under this Act shall be taken against such person and notwithstanding anything contained in section 14, such officer may on payment of such amount, not exceeding five thousand rupees as he may in the circumstances of the case think fit, release the property seized under this Act.

Contravention of Act to be reported by certain officers

16. It shall be the duty of every Forest Officer, Lekhpal, Panchayat Secretary, Police Constable, Assistant Horticulture Inspector or Assistant Soil Conservation Inspector or any officer superior to them --

(a) to give immediate information coming to his knowledge, of any contravention of section 4 and of preparation to commit such contravention to the competent authority; and

(b) to take all reasonable measures in his power to prevent such contravention which he may know or have reason to believe that it is about or likely to be committed.

Award of penalty or confiscation not to interfere with other punishment

17. The award of penalty or confiscation of any property under this Act shall not prevent the inflicting of any punishment to which the person affected thereby is liable under any other law.

Officers to be public servants

18. The officers exercising powers or discharging any duties or functions under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Execution of order for payment of money

19. Any sum, including any amount for composition of an offence, the payment of which has been directed to be made by any person under this Act shall, without prejudice to any other mode of recovery under any law for the time being in force, be recoverable from him as an arrear of land revenue.

Bar of Proceedings

20. No suit or proceedings shall lie against the State Government or against any person empowered to exercise power or to perform duties or discharge functions under this Act, for anything in good faith done or purporting to be done under this Act.

Exemption

21. Subject to such conditions, if any, as may be imposed, the State Government may, if it is considered necessary so to do in the public interest by notification in the Official Gazette, exempt any area or any species of trees from all or any of the provisions of this Act.

Provision of this Act to be in addition to any other Law for the time being in force

22. The provisions of the Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force prohibiting or regulating the felling of trees.

Power of the State Government for preservation of trees

23. (1) The State Government may in the interest of general public declare by notification that any class of tree shall not be felled for such period as is specified in that notification.

(2) The management of such trees shall be regulated in the prescribed manner.

Power to make rules

24. The State Government may by notification make rules to carry out the purposes of this Act.

[Transitory provision on the change f name of U.P. Act No. 45 of 1976

24-A On and from the commencement of the Uttar Pradesh Protection of Trees in Rural and Hill Areas (Amendment) Act, 1998, any reference to the Uttar Pradesh Protection of Trees in Rural and Hill Areas Act, 1976 in any law or statutory instrument shall be construed as a reference to the Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976.][1]

Repeal and savings Uttar Pradesh Ordinance no. 26 of J 976

25. (1) The Uttar Pradesh Protection of Trees in Rural Areas Ordinance, 1976 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any thing done or any action taken under the aforesaid Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act were in force at all material times.

Schedule I (Timber Trees)

[See section 3 (XI]

Serial No.	Common Name	Botanical Name
1	Akhrot	Juglans regia
2	Arjun	Terminalia arjuna
3	Am	Mangifera indica
4	Imli	Tamarindus indica
5	Kardhai.	Anogeissus pendula
6	Kanju	Holoptelea integrifolia
7	Kusum	Schleichera Trijuga
8	Kail	Pinus excelsa,
9	Kharshu	Quercus Semecarpifolis
10	Khair	Acacia catechu
11	Gutel	Trewia nudiflora
12	Dhau/Bakli.	Anogeissus latifolia
13	Chandan	Santalum album
14	Chamkharik	Carpinus viminea
15	Chironji	Buchanania latifolia
16	Chil	Pinus roxburgii
17	Jamun	Sygyzium cumini
18	Dhak-Palas	Butea Monosprerma * or Mirzapur, Varanasi, Banda and Jhansi districts only)
19	Tuni	Oedrella Serrate
20	Tun	Cedrella toona
21	Tendu	Doispirous tomentoss
22	Deodar	Cedrus Deodars
23	Neem	Azadiarchta indica
24	Papri/Sansadujflhikri	Buxus Sempervirens
25	Phaliyant	Quercus glauca

1. Added by section 4 of U.P. Act No. 28 of 1998.

26	Bakain	Mlelia azedarach
27	Bahera	Terminalia belerica
28	Banj	Quercus iucona
29	Mahua	Madhuca latifolia
30	Morinda	Abies pindrow
31	Morn	Quercus dilatata
32	Rai	Picea morinda
33	Rianj	Quercus Lanuginosa
34	Shisham	Dalbergia sissoo
35	Salai	Boswellia serrata
36	Sagaon	Tactona grandis
37	Sal	Shorea robusta
38	Siris	Albizia species
39	Sain/Asna	Terminalia tomentosa
40	Semal	Salmalia melabarica
41	Harr	Terminalia ohebula
42	Haldu	Adina cordifolio.

Schedule II (Fruit Trees)

[See section 3 (Xi)]

Serial No.	Common Name	Botanical Name
1	Anal'	Punica Granutum
2	Amrood	Psidium Guyava
3	Aroo	Prunus perrico
4	Aloobukhara	Prunus communis
5	Am	Mangifera indica
6	Aonla	Emblica officinale
7	Kathal	Artccarpus integrifolia
8	Khubani	Prunus armeniaca
9	Naspati	Pyrus communis
10	Narangi, Neebu, Malta, Mussammi, Santra.	All varieties of citrus
11	Litchi	Nephelium Litchi
12	Sharifa	Amona squemosa
13	Sev	Pyrus Malus.

Schedule III (Fuel Trees)

[See section 3 (xi)]

Trees other than those specified in Schedules I and II.